न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस., प्रथम लिंक अधिकारी

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./21/2026/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. रोशन भाटी पुत्र श्यामलाल 2. मनीष भाटी पुत्र श्यामलाल 3. संदीप भाटी पुत्र श्यामलाल 4. अरविन्द पुत्र श्यामलाल 5. चन्द्रकान्ता पत्नी श्यामलाल, सभी जातियान घांची, निवासीयान महिलावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा हाल जोधपुर		1. टीपूदेवी पत्नी ताराराम 2. मंजूदेवी पत्नी कन्हैयालाल 3. सुजाराम पुत्र ताराराम 4. सीतादेवी पत्नी मोटाराम, सभी जातियान माली, निवासीयान महिलावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा 5. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 30/2025 बउनवान टीपूदेवी वगैरह बनाम श्यामलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री छत्रकरण भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री गणपतसिंह रेस्पो. संख्या 01 से 04 की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांकः–27.05.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 व 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा महिलावास के खसरा संख्या 111 रकबा 1.3178 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 125 रकबा 0.1521 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिससे अपीलांट के हितों का कुठाराघात हुआ है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 व 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा महिलावास के खसरा संख्या 111 रकबा 1.3178 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 125 रकबा 0.1521 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सम्यक नोटिस तामील करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया था। बिना सूचना के ही हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट केवल मात्र कार्यलय में ही बैठकर तैयार की गई। मौका रिपोर्ट हेतु अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई एवं ना ही कोई सूचना हेतु तामील रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रश्नगत मौका रिपोर्ट रेस्पों. के साथ राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करते हुए केवल मात्र रेस्पों./प्रार्थी को ही फायदा पहुंचाने हेतु बिना मौके पर आये ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त प्रश्नगत मौका रिपोर्ट में रेस्पों. संख्या 1 से 4 का खेत पहले से ही रास्ते से जुड़ा हुआ का स्पष्ट अंकन किया गया है। किन्तु उक्त तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें अपीलांट के कोई सूचना नहीं दी गई एवं ना ही अपीलांट के मौका रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान हैं। फिर भी उक्त मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रश्नगत मौका रिपोर्ट में रेस्पों. की आराजी के संबंध में वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी नहीं दर्शाया गया है। उक्तानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

साथ ही अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। जबकि विधि अनुसार किसी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश/निर्णय पारित नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा किया गया है तो वह आदेश/निर्णय प्रभावहीन व शुन्य होगा। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्यामलाल का देहान्त हो जाने के बाद उसके विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। आलोच्य प्रकरण में दिनांक 13.10.2025 की आदेशिका में अपीलकर्तागण को तामिल हेतु नोटिस पेश करने का अंकन है, जबकि अपीलकर्तागण को जो नोटिस प्रेषित किये गये वो 12.09.2025 को किये गये। जो अपने आप में साबित करता है कि अपीलकर्तागण को पर्याप्त तामिल नहीं हुई है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.10.2025 को पेश किये गये नोटिस 12.09.2025 को जारी करना कतई संभव नहीं है, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने बिना उचित तामिल के अपीलकर्तागण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आलोच्य आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोट तलब की जो दिनांक 05.01.2026 को प्राप्त हुई, दिनांक 05.01.2026 को ही अपीलकर्तागण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा दिनांक 05.01.2026 को ही उत्तरदाता संख्या 1 ता 4 (प्रार्थीगण) की बहस अन्तिम सुनी जाकर दिनांक 05.01.2026 को ही उक्त प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया गया, इस प्रकार यह साबित है, कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों पर पुर्ण रूप से गौर किये बिना आनन–फानन में आलोच्य आदेश पारित कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्तानुसार समस्त विधिक कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पर्याप्त तामीली के ही उपस्थित नहीं होने पर विधि अनुसार प्रार्थी/रेस्पों. की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस के उक्त वैकलिप्क रास्ते के संबंध में उज्र का कोई सार नहीं हैं। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स/विप्रार्थी की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। क्योंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट विधिवत सूचित किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही आलौच्य मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। उक्तानुसार विधिक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए वैकल्पिक/निकटतम रास्ते का वर्णन किये बिना ही प्रस्तावित मार्ग का आदेश पारित किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया प्रतीत होता है। उक्तानुसार अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 30/2025 बउनवान टीपूदेवी वगैरह बनाम श्यामलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलायमान एवं निकटतम रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तल्ब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई),
प्रथम लिपिक अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर